(वाद संख्या–1990/18)

26.11.2019

परिवादी, विमल कुमार, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

परिवादी का अपने परिवाद–पत्र में कथन है कि उसके द्वारा प्राथमिक विद्यालय, भलुआँ में भूकंपरोधी विद्यालय निर्माण के स्थान पर साधारण भवन निर्माण कराकर सरकारी खजाने का लगभग ग्यारह लाख रुपये बंदर–बांट करने व फर्जी निकासी के विरूद्ध विभिन्न स्तरों पर शिकायत करने पर, उक्त विद्यालय के एक शिक्षक द्वारा पुलिस को मेल में लाकर परिवादी के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 354/384/504/506/553 के अंतर्गत दुल्हिन बाजार थाना कांड सं0–31/18, दिनांक–07.02.2018 संस्थित किया गया है तथा उसे संबंधित विद्यालय के शिक्षकों व स्थानीय पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार धमकी भी दी जा रही है।

परिवादी के परिवाद–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि दुल्हिन बाजार थाना कांड सं0–31/18, दिनांक–07.02. 2018 के अंतर्गत, घटना को सत्य पाकर परिवादी के विरूद्ध प्राथमिकी में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत आरोप संख्या–90/18, दिनांक–30.05.2018 द्वारा संबंधित न्यायालय में आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा प्रसंगाधीन मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

परिवादी का यह भी कथन है कि उसकी ओर से प्राथमिक विद्यालय, भलुआँ में विद्यालय भवन के निर्माण के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना आयोग, बिहार, पटना के समक्ष भी याचिका दी गयी थी तथा सूचना आयोग द्वारा उसके आवेदन पर दिनांक–13.03.2019 को पारित आदेश द्वारा संबंधित विद्यालय के निर्माण से संबंधित कनीय अभियंता, श्री अरूण कुमार पर दस हजार रुपये का अर्थ दंड अधिरोपित करते हुए प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को इस संबंध में समुचित जांच करने का निर्देश दिया गया है। परिवादी का कथन है कि प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा राज्य सूचना आयोग के उपरोक्त निर्देश का अनुपालन न किये जाने के कारण उसकी ओर से सूचना

के अधिकार अधिनियम की धारा 18 (1) के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग में अपील दायर किया गया है जो वर्तमान में सुनवाई हेतु लंबित हे।

अब, जबकि परिवादी के विरूद्ध संस्थित दुल्हिन बाजार थाना कांड सं0–31/18, दिनांक–07.02.18 में पुलिस द्वारा अन्वेषणोंपरान्त आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा उक्त मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में दुल्हिन बाजार थाना कांड–31/18 के संबंध में कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है।

उक्त के आलोक में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक